

विभिन्न पोलीटेकनिक महाविद्यालयों में वर्ष 2009-2010 में देय शिक्षण शुल्क की  
जानकारी :-

1. अनारक्षित श्रेणी के छात्र/छात्राओं द्वारा देय शुल्क :
- (अ) समस्त शासकीय पोलीटेकनिक महाविद्यालयों, राज्य शासन द्वारा स्वशासी घोषित एवं अनुदान प्राप्त पोलीटेकनिक महाविद्यालयों तथा स्वशासी एवं शासकीय महिला पोलीटेकनिक महाविद्यालयों में शिक्षण शुल्क एवं विकास शुल्क (इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों के लिये ) निम्नानुसार देय होगा :
- 1 राज्य शासन द्वारा स्वशासी घोषित पोलीटेकनिक महाविद्यालयों एवं अनुदान प्राप्त पोलीटेकनिक महाविद्यालयों में  
शिक्षण शुल्क **रु0 10000**
- 2 शासकीय पोलीटेकनिक महाविद्यालयों में  
शिक्षण शुल्क **रु0 7500**
- (ब) अन्य शुल्क समस्त श्रेणी के छात्र/छात्राओं द्वारा प्रतिवर्ष निम्नानुसार देय होगा।
1. समेकित निधी (प्रवेश) **रु0 5.00**
2. छात्र सहायता **रु0 5.00**
3. स्थानीय परीक्षा शुल्क **रु0 20.00**
4. अमलगमेटेड फंड **रु0 40.00**
5. इंटर पोलीटेकनिक गेम्स **रु0 50.00**  
(स्थानीय क्रीड़ा शुल्क)
6. प्रशिक्षण तथा प्लेसमेंट **रु0 100.00**
7. राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शुल्क: वि. वि. के निर्धारण के अनुसार
- 01 नामांकन शुल्क **रु0 75.00**
- 02 छात्र सहायता निधि **रु0 30.00**
- 03 बुक बैंक **रु0 20.00**
- 04 छात्र दुर्घटना निधि **रु0 20.00**
- 05 डीसेवल फंड **रु0 20.00**
- 06 अन्तर पोलीटेकनिक क्रीड़ा शुल्क **रु0 50.00**

07	विश्वविद्यालय विकास शुल्क	रू0100.00
08	अंतर पोलीटेकनिक सांस्कृतिक कार्यक्रम शुल्क	रू0 40.00
(स)	वापसी योग्य अवधान राशि (एक बार) समस्त श्रेणी के छात्र/छात्राओं द्वारा देय होगी	
1	संस्था के लिये अवधान राशि	रू0 100.00
2.	छात्रावास के लिये अवधान राशि	रू0 100.00

2. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति श्रेणी के छात्र/छात्राओं द्वारा देय शुल्क :

मध्यप्रदेश के अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति श्रेणी के विद्यार्थियों द्वारा शासन के आदेश क्रमांक एफ-12-42/99/25/2 दिनांक 10/7/03 के अनुसार फीस देय होगी।

3. अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी के छात्र/छात्राओं द्वारा देय शुल्क:

मध्यप्रदेश शासन आदिम जाति हरिजन एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा पिछड़ा वर्ग मेट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति के लिये जारी योजना 88-89 विनियम के कंडिका (5) तीन (ख) में दिये गये निर्देशों के साथ मध्यप्रदेश शासन, आदिम जाति हरिजन एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा पिछड़ा वर्ग मेट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति के लिये जारी पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के आदेश क्रमांक एफ/8-3/2007/54-1 दिनांक 19.12.2007 के द्वारा संशोधित अधिकतम आय सीमा के अनुसार, ऐसे छात्र जिनके माता-पिता/अभिभावक की आय सभी स्रोतों से रूपये 75000 प्रतिवर्ष से अधिक न हो, के द्वारा देय सम्पूर्ण शिक्षण शुल्क की राशि की प्रतिपूर्ति आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा की जावेगी।

अन्य पिछड़े वर्ग के जिन छात्र/छात्राओं को मेट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति की पात्रता नहीं है उन छात्र/छात्राओं को संस्थाओं में वही शिक्षण शुल्क देय होगा, जो उपरोक्त (1) में अनारक्षित श्रेणी के छात्र/छात्राओं के लिये निर्धारित है।